न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 51 / 2022

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. अचलाराम पुत्र श्री पेमाराम 2. रतनाराम पुत्र पेमाराम 3. पुराराम पुत्र पेमाराम 4. रामाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकाम 4.1 सुखदेव पुत्र रामाराम 4.2 खेमी पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी हुडो का तला तहसील गुडामालानी व जिला बाड़मेर		1 हडुमानराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाति जाट निवासी हुडो का तला तहसील गुडामालानी व जिला बाड़मेर 2 तहसीलदार, गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 163 दिनांक 07.04.2007 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.07.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गु[illegible] के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक [illegible] पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:57 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षि[illegible] मौजा हुडो का त[illegible]सील गुडामालानी व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 309 रकबा 4 बिस्वा, खसरा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नम्बर 310 रकबा 97 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 312 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा का आया हुआ है। उक्त खेत के खातेदार अचलाराम, रतनाराम, पुराराम पुत्र पेमाराम एवं हडुमानराम पुत्र लुम्बाराम कौम जाट निवासी हुडो का तला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.04.2007 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 163 दिनांक 07.04.2007 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 163 दिनांक 07.04.2007 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। अपीलांट के हिस्से में खसरा नंबर 310 में जो 48 बीघा 16 बिस्वा भूमि बंट में दी गई है, वहां पर 48.16 बीघा नहीं है। अपीलान्टस के बंट में दी गई भूमि 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम दी गई है जो 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि पडौस के गांव सडेचा में ऑवरलेपिंग में जाती है इस कारण अपीलकर्ता के हिस्सा में खसरा नंबर 310 में 48 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर केवल [illegible]5.06 बीघा ही प्राप्त होती है, शेष 13 बीघा 10 बिस्वा सरहद के ग्राम सडेचा में जाती है, जिस पर सडेचा के निवासियों का कब्जा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हुई तब दिनांक 06.07.2022 को आवश्यक नकलें और मौके की बंटवाडे की नकल प्राप्त करने पर ही बंटवाडे के गलत होने की जानकारी हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा हुडो का तला तहसील गुडामालानी व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 309 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 310 रकबा 97 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 312 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा मौजा हुडो का तला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के खातेदार अचलाराम, रतनाराम, पुराराम पुत्र पेमाराम एवं हड्डुमानराम पुत्र लुम्बाराम कौम जाट निवासी हुडो का तला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.04.2007 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 163 दिनांक 07.04.2007 पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार गुडामालानी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1956 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:57 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 163 दिनांक 07.04.2007 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:57 IST
Reason: SelfAttested